

Office of The District Magistrate, Gautam Budh Nagar

Ref: 1362 / N.G.T-69/24

Date: 15/2/24

To,

The Registrar,
The National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi
E-mail- judicial-ngt@gov.in

Sub: Response of District Magistrate, Gautam Buddha Nagar in compliance of the order dated 09.01.2024 passed by Hon'ble National Green Tribunal, New Dellhi in Original Application No. 649 of 2023 Shri Krishna Kashyap Versus State of Uttar Pradesh.

Sir,

Please refer to the order passed by Hon'ble National Green Tribunal on dated 09.01.2024 in Original Application No. 649 of 2023 Shri Krishna Kashyap Versus State of Uttar Pradesh, as per said order, it is directed to file response from District Magistrate, Gautam Buddha Nagar in said matter. Site inspection of Shivam Enclave in question was carried out by the Joint Committee on dated 14.02.2024. Accordingly, Joint Committee report/response is annexed herewith and forwarded to you with the request that the same may be placed before the Hon'ble Tribunal.

Enclosure- As above

Yours Sincerely


(Manish Kumar Verma)
District Megistrate
Gautam Buddh Nagar

Compliance Report

In

Original Application No. 649/2023

Shri Krishna Kashyap

Versus

State of Uttar Pradesh

Order Date – 09.01.2024

Filed on Behalf of:

Uttar Pradesh Pollution Control Board

1. Background

Hon'ble NGT passed order on 09.01.2024 in O.A. No. 649/2023 in the matter of Shri Krishna Kashyap Vs State of Uttar Pradesh and relevant paras of the order dated 09.01.2024 are reproduced below: -

"...1. This original application is registered on the basis of the letter petition sent by one of the resident of Shivam Enclave, old Haibatpur, Police Station - Bisrakh, Greater Noida, District – Gautam Budh Nagar, raising the grievance that some anti-social elements have laid the underground pipeline and are discharging the sewer waste of Shivam Enclave colony in the Hindon River in violation of the environmental norms. It is further stated that in spite of making the complaint to different authorities, no action has been taken.

2. The Letter petition raises substantial issue relating to compliance of the environmental norms prescribed in the scheduled enactments. Hence, at this stage, we deem it proper to implead the following as respondents in the matter:-

(1). Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB),

(2). District Magistrate, Gautam Budh Nagar

(3). Commissioner, Municipal Corporation, Greater Noida.

3. Let notice be issued to the above respondents for filing their response atleast one week before the next date of hearing by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

4. Another OA being OA No. 859/2022 Abhisht Kumar Gutpa Vs. State of Uttar Pradesh & Ors. is also pending before this tribunal where in the issue of discharge of untreated industrial affluent as well as municipal and domestic sewage in river Hindon is involved..

5. List along with OA 859/2022 on 23.02.2024.

2. Action Taken by The Joint Committee


In compliance of Hon'ble Tribunal's orders dated 09.01.2024, Joint inspection of Shivam Enclave, old Haibatpur, Police Station - Bisrakh, Greater Noida, District – Gautam Budh Nagar was carried out on dated 14.02.2024 by the Joint Committee comprising of following officials:

- a. Atul Kumar, Additional Divisional Magistrate (F/R), Gautambuddh Nagar.
- b. Jitendra Gautam, General Manager-Sewer, Greater Noida Industrial Development Authority, Greater Noida.
- c. Deo Kumar Gupta, Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Greater Noida

Main observation of the Joint Committee are as follows: -

- i. Shivam Enclave colony, old Haibatpur is situated in flood plan area of Hindon river, which is developed like other unplanned residential areas situated along with stretch of both side of Hindon river in Gautambuddh Nagar.
 - ii. There is no sewerage network in that area. Sewage generated from said residential area is being discharged directly into Hindon river.
 - iii. In compliance to the order dated 17.03.2023 passed by the Hon'ble NGT in O.A. no. 859/2022 Abhist Kusum Gupta Vs State of U.P., Field Monitoring Teams are constituted by Government of U.P. vide Office Memorandum dated 26.06.2023 (annexed as **Annexure- 1**) to assess the actual status of pollution of Hindon River in concerned Districts. In compliance to Office Memorandum dated 26.06.2023, Field monitoring teams have done inspection of Hindon Catchment area in Gautam Budh Nagar. It was reported earlier by committee that: -
 - a. Untreated sewage generated from areas such as Rahul Vihar and Bahrapur→ which is situated at entry point of Gautam Budh Nagar needs to be treated through nearby STPs by concerning Development Authority/ Municipal Corporation/ Local body.
 - b. The Untreated sewage being generated in flood plain areas such as Chijarsi,→ Bahlolpur, Chotpur, Tigri, Yusufpur which drains in River Hindon and untreated domestic sewage from residential areas located on GT Road, which meets Dasana Drain needs to be treated to nearby STP by concerning local authority.
- Photographs taken during inspection are annexed as **Annexure-2**.

Report is being submitted for kind perusal and consideration please.


14.02.24
(Deo Kumar Gupta)
Regional Officer,
U.P. Pollution Control
Board, Greater Noida


14.02.24
(Jitendra Guatam)
GM-Sewer,
Greater Noida Industrial
Development Authority.


14/02/24
(Atul Kumar)
Additional Divisional
Magistrate (F/R),
Gautambuddh Nagar.

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7
संख्या-एन.जी.टी.-278/81-7-2023
लखनऊ : दिनांक : 26 जून, 2023

कार्यालय ज्ञाप

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-859/2022 अभिष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 के अनुपालन में हिण्डन नदी के प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में उपाचारात्मक कार्यवाही आदि के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7 उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-एन0जी0टी0 127/81-7-2023, दिनांक 05.04.2023 एवं संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-एन0जी0टी0 191/81-7-2023, दिनांक 28.04.2023 द्वारा मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी है। उक्त समिति के कार्य/दायित्वों के अनुसार हिण्डन नदी के प्रदूषण की वास्तविक स्थिति के आंकलन हेतु फील्ड मॉनिटरिंग दलों की तैनाती, हिंडन नदी के प्रदूषण नियंत्रण हेतु उपचारात्मक कार्यवाही एवं दोषी उद्योगों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति/बन्दी एवं अभियोजन की कार्यवाही किया जाना है।

2. उक्त के अनुक्रम में हिण्डन नदी के प्रदूषण की वास्तविक स्थिति के आंकलन हेतु निम्नानुसार फील्ड मॉनिटरिंग टीम का गठन किया जाता है :-

1-	संबंधित जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि जोकि उपजिलाधिकारी स्तर से कम न हो	अध्यक्ष
2-	सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
3-	कार्यकारी निदेशक (टेक्नीकल), नेशनल मिशन फार क्लीन गंगा, द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
4-	परियोजना निदेशक, स्टेट मिशन फार क्लीन गंगा द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
5-	संबंधित पुलिस कमिशनर/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
6-	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
7-	संबंधित नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी संबंधित नगर निगम/नगर पालिका परिषद द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
8-	संबंधित अधीक्षण अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, नगरीय/ग्रामीण।	सदस्य
9-	संबंधित अधिशासी अभियंता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग।	सदस्य
10-	संबंधित क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
11-	संबंधित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र।	सदस्य
12-	संबंधित अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय/ग्रामीण।	सदस्य
13-	संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।	संयोजक सदस्य

3. उक्त समिति के कार्य एवं दायित्व निम्नवत् होंगे :-
- हिण्डन नदी का पूर्ण सर्वे किया जाना तथा हिण्डन नदी में प्रभावित हो रहे सम्भावित प्रदूषण भार का आंकलन किया जाना।
 - हिण्डन नदी के कैचमेंट में प्रदूषणकारी उद्योग/स्रोत का पता लगाना एवं हिण्डन के कैचमेंट में स्थापित उद्योगों का सघन एवं सतत् निरीक्षण करना।
 - हिण्डन नदी के कैचमेंट में स्थापित एस0टी0पी0/सी0ई0टी0पी0 का सतत् निरीक्षण किया जाना तथा मानकों के विपरीत पाये जाने पर आवश्यक कार्यवाही हेतु आख्या प्रेषित करना।
 - उद्योग से जनित हो रहे उत्प्रवाह की मात्रा का आंकलन करना एवं प्रदूषित उत्प्रवाह के नमूने को एकत्रित कर विश्लेषण मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से कराया जाना।
 - दोषी उद्योगों के विरुद्ध जल अधिनियम, 1974 के प्राविधानों के अन्तर्गत बन्दी/अभियोजन की कार्यवाही एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु प्रकरण सक्षम स्तर को एवं समिति को संदर्भित करना।
 - हिण्डन नदी के प्रवाह को अविरल रखने हेतु आवश्यक सुझाव देना।
 - नॉन कन्फर्मिंग जोन में स्थापित अवैध जल प्रदूषणकारी उद्योगों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये दोषी इकाई का विद्युत विच्छेदन कराया जाना।
 - हिण्डन नदी में प्रभावित हो रहे अशुद्धिकृत घरेलू जल-मल के रोकथाम हेतु प्रकरण समिति व सक्षम विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु संदर्भित करना।
 - हिण्डन नदी के remediation हेतु आवश्यक action plan तैयार कर जिलेवार प्रस्ताव प्रेषित किया जाना।

उपरोक्तानुसार हिण्डन नदी के प्रदूषण की वास्तविक स्थिति के आंकलन की कार्यवाही करते हुए आख्या संबंधित जिलाधिकारी के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन (ई-मेल-soenvups@rediffmail.com) एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ (ई-मेल-ms@uppcb.in, ceo1@uppcb.in) को प्रेषित की जाएगी। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समेकित रिपोर्ट शासन के माध्यम से समिति के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

संलग्नक-यथोक्त।

Signed by दुर्गा शंकर
मिश्र

Date: 24-06-2023 11:46:07

Reason: Approved

(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को इस आशय से कि उपरोक्तानुसार गठित फील्ड मॉनिटरिंग टीम हेतु प्रतिनिधि नामित करने का कष्ट करें:-

- 1- जिलाधिकारी, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली एवं सहारनपुर।
- 2- सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली।
- 3- कार्यकारी निदेशक (टेक्नीकल), नेशनल मिशन फार क्लीन गंगा, प्रथम तल, मेजर ध्यान चन्द्र

स्टेडियम, नई दिल्ली।

- 4- निदेशक, स्टेट मिशन फार क्लीन गंगा, प्लाट नं०-18, सेक्टर-7, गोमतीनगर, लखनऊ।
- 5- पुलिस कमिश्नर/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली एवं सहारनपुर।
- 6- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा।
- 7- नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद, मेरठ एवं सहारनपुर।
- 8- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् बागपत, शामली एवं मुजफ्फरनगर।
- 9- अधीक्षण अभियंता, उ०प्र० जल निगम, नगरीय/ग्रामीण, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली एवं सहारनपुर।
- 10 अधिशासी अभियंता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, मेरठ, बागपत, - मुजफ्फरनगर, शामली एवं सहारनपुर।
- 11 क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, - शामली एवं सहारनपुर।
- 12 महाप्रबन्धक, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, - मुजफ्फरनगर, शामली एवं सहारनपुर।
- 13 अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय/ग्रामीण, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, मेरठ, - बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली एवं सहारनपुर।
- 14 सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि क्षेत्रीय अधिकारी, - उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, मुजफ्फरनगर एवं शामली को निर्देशित करें कि संबंधित सभी विभागों से नामांकन की प्रतीक्षा न करते हुए स्वयं व्यक्तिगत/दूरभाष पर सम्पर्क कर मा० एनजीटी के निर्देशानुसार कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ करायें तथा उपलब्ध सदस्यों सहित फील्ड मॉनिटरिंग का कार्य प्रारम्भ करें एवं कृत कार्यवाही की साप्ताहिक रिपोर्ट प्रत्येक मंगलवार बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करें।
- 15 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनोज सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

